

पत्रांक— 20 / मु ०१-२५ / २०१७ ..... 200

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह, भाग्यसे०  
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण  
सेवा में,  
कुल सचिव,  
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 20/09/18

विषय— CWJC No 10534 / 2017, (सचिव, प्रकाश बी०एड० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक—20.06.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC No 10534 / 2017 (सचिव, प्रकाश बी०एड० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक—20.06.2018 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अपने—अपने विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत संबंधित संस्थानों को अपने स्तर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिशा निदेश दिया जाय।

पारित न्यायिक निर्णय का अनुपालन हर हाल में सभी संस्थानों द्वारा किया जाना है। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में अवमानना हेतु संबंधित संस्था स्वयं जवाबदेह होगी।

अनु०—यथोक्त।

विश्वविद्यालय

(विनोद कुमार सिंह)

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण